भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1206

दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अवैध बोतल पेयजल संयंत्र

1206. श्री राहुल कस्वां:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण **मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किए बिना बोतलबंद पेयजल बनाने वाली कई इकाइयां देश में अनियंत्रित रूप से और तेजी से बढ़ रही हैं;
(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से राजस्थान में चल रही ऐसी विनिर्माण इकाइयों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में ऐसी इकाइयों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और
(घ) दैश में सुरक्षित बोतलबंद पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-सा प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने सूचित किया है कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किए बिना बोतलबंद पेयजल का विनिर्माण करने वाली इकाइयों की सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं है। हालांकि, 2 फरवरी 2024 तक, देश में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लिए 6244 बीआईएस लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता और पैकेज्ड नेचुरल मिनरल वाटर के लिए 32 बीआईएस लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता हैं। इसके अलावा, 2 फरवरी 2024 तक राजस्थान में बोतलबंद पेयजल के लिए 162 बीआईएस लाइसेंस प्राप्त विनिर्माता हैं।

ऐसी वस्तुओं की बिक्री जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के तहत अधिसूचित किया गया है, बिना किसी बीआईएस चिह्न के बिना की जाती है तो इसे संज्ञेय अपराध माना जाता है। (बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 16, 17 और 29)।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर सहित मानव उपभोग के लिए भोजन की गुणवत्ता

सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित मानकों और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अनुपालन की जांच करने के लिए एफएसएसएआई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की जॉच, निगरानी, निरीक्षण और यादृच्छिक नमूना लेता है। ऐसे मामलों में जहां पैकज्ड ड्रिकिंग वाटर सहित खाद्य नमूने घटिया होने के साथ गैर-अनुरूप पाए जाते हैं, वहां चूककर्ता खाद्य व्यवसाय संचालकों के विरुद्ध एफएसएस अधिनियम, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है।

*****